

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक:- मु0अ0 (अ0उ0)-4515-01-252/2024 - 2460 पटना, दिनांक:- 28/6/2025
प्रेषक,

अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल
ग्रामीण कार्य विभाग।

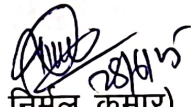
विषय:- Performance Security के सत्यापन के कारण एकरारनामा सम्पादित करने में विलम्ब किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि CMBD की कंडिका-32.2 में स्पष्ट उल्लेखित है कि LOA निर्गत करने की तिथि से 15 दिनों के भीतर संवेदक एवं कार्यपालक अभियंता के बीच एकरारनामा सम्पादित कर लिया जाना है। एकरारनामा सम्पादित किये जाने के पूर्व संबंधित संवेदक से निर्धारित राशि एवं निर्धारित अवधि का B.G with SFMS No. कार्यपालक अभियंता को प्राप्त कर लेना है। SFMS No. BG पर होने के कारण इसका सत्यापन स्वतः कार्यपालक अभियंता के Registered Mobile No. पर Message के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। ऐसा संज्ञान में आया है कि BG सत्यापन के नाम पर भी एकरारनामा सम्पादित करने के कतिपय प्रमंडलों द्वारा विलम्ब किया जा रहा है।

अतः निदेश दिया जाता है कि संबंधित संवेदकों द्वारा B.G with SFMS No. निर्धारित राशि एवं निर्धारित अवधि का जमा किये जाने एवं सत्यापन का message प्राप्त होने के उपरांत 24 घंटे के भीतर एकरारनामा संपादित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि सत्यापन का message प्राप्त होने के उपरांत भी एकरारनामा में विलम्ब की शिकायत प्राप्त होती है तो आपके विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई हेतु अनुशंसा कर दी जायेगी।

विश्वासभाजन


(ई0 निर्मल कुमार)
अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग,

ज्ञापांक:- मु0अ0 (अ0उ0)-4515-01-252/2024 - 2460 पटना, दिनांक:- 28/6/2025
प्रतिलिपि:- सभी मुख्य अभियंता, कार्य प्रक्षेत्र/सभी अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल,
ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि दिए गए निदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।


अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग।